प्र.स.:– 05/2022
दायर दिनांक:– 10.05.2022
निर्णय दिनांक :– 13.10.2022

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लवाण जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :– मिथलेश मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 05/2022

प्रकरण दायर दिनांक :– 10.05.2022

1. बुधराज पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी खण्डेवल तहसील लवाण जिला दौसा।

(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा राजस्थान
2. सत्यनारायण पुत्र भगवानसहाय जाति ब्राहमण निवासी खण्डेवल तहसील लवाण जिला दौसा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी कराने बाबत

उपस्थिति :–1. श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, अधिवक्ता वादी।
2. पैरोकार सरकार

:: निर्णय :: दिनांक : 13.10.2022

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि ग्राम खण्डेवल तहसील लवाण में आराजी ख.न. 219, 68, 69, 70, 71, 72, 77/2, 85, 86, 87 कुल किता 10 कुल रकबा 3.74 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि का प्रार्थी ... खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि से अप्रार्थी सं. 02 का किसी ... नही है, परन्तु पडौसी काश्तकार होने के नाते आये दिन सीमा ... विवाद उत्पन्न करता

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:07:59 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्र.स.:– 05/2022
दायर दिनांक:– 10.05.2022
निर्णय दिनांक :– 13.10.2022

रहता है। प्रार्थी ने उक्त भूमि का विधिवत रूप से दिनांक 30.04.2022 को नियमानुसार सीमाज्ञान भी करवाया है। अप्रार्थी सं. 02 के किये गये सीमाज्ञान के चिन्हों को मिटा दिया व नष्ट कर दिया गया है। उक्त सीमा संबंधी विवाद को समाप्त करने हेतु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उक्त खसरा नम्बरानों की मय पुलिस इमदाद के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अ.धारा 128 एलआरएक्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणो की तलवी की गई। तहसीलदार लवाण की जांच रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी सं. 02 बावजूद तामील एवं उपस्थिति के अनुपस्थित रहा और न ही जवाब पेश किया गया। जिस कारण अप्रार्थी सं. 02 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। तहसीलदार लवाण से प्राप्त जांच रिपोर्ट, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। उपरान्त ग्राम ग्राम खण्डेवल तहसील लवाण स्थित आराजी ख.न. 219, 68, 69, 70, 71, 72, 77/2, 85, 86, 87 कुल किता 10 कुल रकबा 3.74 है0 भूमि बुधराज पुत्र पि. मु. कन्हैयालाल जाति ब्राहमण नाम दर्ज है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 30.04.2022 को किया गया, जहॉ मौके पर पटवारी हल्का माण्डेडा सुनारपुरा, खातेदार एवं पडौसी खातेदार उपस्थित रहे। उक्त सीमाज्ञान के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा व अडचन दर्शित नही होने कारण एवं अप्रार्थी सं. 02 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में आने कारण, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लवाण को निर्देशित किये जाते है कि ग्राम ग्राम खण्डेवल तहसील लवाण स्थित आराजी ख.न. 219, 68, 69, 70, 71, 72, 77/2, 85, 86, 87 कुल किता 10 कुल रकबा 3.74 है0 भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो उक्त खसरा नम्बरान की पत्थरगढी करने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:37:59 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्र.स.:— 05/2022
दायर दिनांक:— 10.05.2022
निर्णय दिनांक :— 13.10.2022

अनुभवी पटवारियो/गिरदावरो की टीम गठित की जाकर पुलिस इमदाद सहित पत्थरगढी की जावे तथा प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार लवाण को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय दिनांक 13.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट लवाण

मिथलेश मीना (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण

उप जिला कलक्टर लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:07:59 IST
Reason: SelfAttested